(III) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जायें।

(IV) जिस भाग में पहाड़ के एक ही ढलान पर बैण्ड्स होने के कारण मार्ग की अनेक आर्म्स एक दूसरे के ऊपर हो जायेगीं, ऐसे भाग में वर्षाकाल में मार्ग पर विशेष अनुरक्षण कार्यो की आवश्यकता हो सकती है।

(V) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(VI) जहॉ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, विशेष रूप से बैण्ड्स पर एवं आवादी वाले भाग में, मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(VII) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर,काजवे एवं अन्य कास ड्रेनेज वर्क्स का प्रावधान किया जायें।

(VIII) कटिंग के दौरान निकले हुए मैटेरियल को पूर्व निर्धारित dumpyard में डाला जाये। खडड साईड में फेकने से भूक्षरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

(IX) उपरोक्त के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एव विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4– कालीमाटी, चित्तौर से थाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मोटर मार्ग हेतु 6.625 कि0 मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लियें उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

भूमि हस्तातरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता।
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

H.Kumar 30.4.19
(हर्ष कुमार),
वरि0 भूवैज्ञानिक (से0नि0),
लोक निर्माण विभाग।
देहरादून

प्रेषक,

हर्षकुमार,
वरि0 भूवैज्ञानिक (से0नि0),
64 कालिन्दी एनक्लेव
बल्लीवाला चौक, देहरादून।

दिनांक 30 अप्रैल 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
ऋषिकेश (देहरादून)

विषयः— भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।

महोदय,

आपके पत्रांक 209/1 सी0 दिनांक 25.4.2019 में किये गये अनुरोध पर जनपद देहरादून में कालीमाटी, चितौर, थाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निरीक्षण किया गया था। वांछित निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आख्या का शुल्क भुगतान हेतु बिल भी संलग्न है। कृपया भुगतान कराने की कृपा करें।

धन्यवाद

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

संलग्नक—यथोपरि।

H. Kumar 30.4.19
(हर्ष कुमार)

देहरादून

जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के कालीमाटी, चित्तौर, थाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1 अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत 6.625 कि0 मी0 लम्बाई में कालीमाटी, चित्तौर से थाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 26.04.2019 को सम्बंधित अपर सहायक अभियन्ता श्री वीरेन्द्र चौहान के साथ निरीक्षण किया गया।

2 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के कालीमाटी,चित्तौर, थाईसेन (घाईसेन) होते हुये अपर तलाई तक मोटर मार्ग का 6.00 कि0 मी0 लम्बाई में प्रथम चरण का निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग की वास्तविक लम्बाई 6.625 कि0 मी0 आयेगी जिसमें यह समरेखन क्षेत्र में निर्मित धारकोट–तलाई मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा। अवगत कराया गया है कि इसी कारण धारकोट–तलाई मोटर मार्ग को जोड़ते हुये कुल 6.625 कि0 मी0 लम्बाई का समरेखन बनाया गया है। प्रस्तावित समरेखन, भोपालपानी–कालीमाटी 3.00 कि0 मी0 निर्मित मार्ग के अंतिम बिन्दु से आगे आरम्भ होता है तथा धारकोट–तलाई मोटर मार्ग से मिलकर पूर्ण होता है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम कालीमाटी, थाईसेन (घाईसेन), चित्तौर एवं अपर तलाई लाभान्वित होंगे। समरेखन की अधिकांश लम्बाई नापभूमि से एवं शेष लम्बाई वन भूमि से होकर गुजरती है। नाप भूमि में पहाड़ी ढलान अपेक्षाकृत कम (20° से 35° तक) है तथा वनभूमि में कुछ अधिक प्रतीत होता है। समरेखन में कुल नौ हेयर पिन बैण्ड्स है। बैण्ड्स सामान्यतः दूर–दूर है तथा स्थिर भूमि में हैं। चित्तौर के पश्चात एवं अपर तलाई वाले भाग में बैण्ड्स पहाड़ी के एक ही फेस पर है, जहां सावधानी अपेक्षित होगी। क्षेत्र में कुछ सूखे गदेरे/नाले हैं जिन पर छोटी पुलिया तथा काजवे का प्रावधान किया जाना होगा। समरेखन क्षेत्र में अधिकांश भाग में मिट्टी–पत्थर युक्त स्ट्रेटा (E and B) है तथा कहीं–कहीं शेल तथा सैण्डस्टोन चट्टान है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।

3 समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(I) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

(II) मार्ग के आरम्भ में ही सूखा गदेरा है, जिस पर पुलिया का प्रस्ताव है। उपयुक्त स्पान की पुलिया का सावधानीपूर्वक निर्माण कराया जाये और वर्षाकाल में कटाव से सुरक्षा हेतु समुचित सुरक्षात्मक प्रावधान भी किये जायें।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश